

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील: 06/2018

दायर दिनांक: 07.06.2018

निर्णय दिनांक 01.07.2019

—:अनवान:—

1. श्री शंकरलाल पिता श्री प्रताप जी गाडरी, उम्र 35 वर्ष निवासी लोढियाणा का वाड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2. श्री नैना उर्फ नानालाल पिता प्रताप जी गाडरी, उम्र 35 वर्ष निवासी लोढियाणा का वाड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द

—अपीलांत

—:बनाम:—

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार साहब, नायब तहसील सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

—रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ के मुकदमा नम्बर 37/2017 ना०क० निर्णय दिनांक 16.10.2017 बअनवान सरकार बनाम शंकर नैना वगैराह



उपस्थित :-

- 1- श्री आर.एल. रावत, अधिवक्ता अपीलांत
- 2- परोकार सरकार

—:निर्णय:—

अपीलार्थी ने उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा दिनांक 16.10.2017 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.06.2018 को दफा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है।

पटवारी हल्का लोढियाणा के द्वारा उप तहसीलदार, सरदारगढ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम लोढियाणा (लोढियाणा की वाडा) तहसील आमेट के आराजी नम्बर 1108 रकबा 8.7100 हैक्टर किस्म बंजड बिलानाम में से मक्का 0.0500 हैक्टर एवं पड़त 0.1000 भूमि पर कब्जा बाड़ कर के अतिक्रमण किया है। अतः इसके विरुद्ध धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कराना फरमावें। उक्त रिपोर्ट पर उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 16.10.2017 को अपीलांत का अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखली व शास्ति स्वरूप 50 रूपये आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है जो कि कानूनन नियमन योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवैध आदेश खारीज किये जाने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम अपीलांत द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है।

(Handwritten signature)

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य होना प्रमाणित है। मौके पर उक्त भूमि पर चारो तरफ बाड़ बना कर काबिज है। इसी भूमि पर अपीलांट द्वारा कुंआ खोद रखा है, जिसमें पर्याप्त पानी होकर उक्त जमीन के अलावा अन्य खातेदार की जमीनों को भी सिंचित कर फसल काश्त कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर उक्त मामले में नहीं दिया है। प्रकरण नियमन योग्य है। जिस पर विचार नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा पुराने कब्जे को नियमन करने के लिए निर्देश जारी कर रखे है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। जो नियमन योग्य नहीं है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम लोढियाणा (लोढियाणा वाड़ा) तहसील आमेट के आराजी नं0 1108 किस्म बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश न कर बिलानाम भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमि की किस्म बिलानाम है। बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के नियमन योग्य होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये है और न ही ऐसा कोई प्रावधान बताया है। जिससे वाद ग्रस्त भूमि नियमन योग्य हो। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ के द्वारा दिनांक 16.10.2017 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। उप तहसीलदार, सरदारगढ को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से 01 माह में अपीलांट का कब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 01.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

